

फर्द अहकाम

नाकूसिंद बनाम लक्ष्मण जो

नाम न्यायालय- न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, शाह
 केस संख्या 253/2001 उजः रक 119/2003 उजः

क्रम संख्या	दिनांक आना या कार्यवाही	आना विस्तृत रूप से
	17-1-17	<p>बकील ... अतिरिक्त / अभियोगक मध्य आदेश ... P. O. साह अवकाशपत्र है। पत्रावली ... दिनांक 21-12-17</p>
	21-1-17	<p>वकील वादा/प्रतिवादी उपस्थित P. O. साह अवकाशपत्र है। पत्रावली ... दिनांक 19-1-18</p>
	19-1-18	<p>वकील उपस्थित / अभियोगक मध्य अवकाशपत्र है। पत्रावली ... दिनांक 22-2-18</p>
	22/2/18	<p>वकील अनापपत्र उप-। गवात उप-। वकील वकील गवात जो अनापपत्र उप-। वकील वकील वकील वकील पेश करते। पत्रावली दिनांक 16-3-18 को पेश की।</p>
	16-3-18	<p>वकील अनापपत्र उप-। वकील वकील वकील वकील वकील वकील पत्रावली दिनांक 19/4/18 को पेश की।</p>
	19/4/18	<p>वकील अनापपत्र उप-। वकील वकील वकील वकील पत्रावली दिनांक 5/6/18 को पेश की।</p>
	5/6/18	<p>आज मतपत्रावली राजेश बंसि अनापपत्र केम्य गवात उहा में पेश हुई, पत्रावली में दो शर्तों, अनुमान से कार्य उप-।</p>

— 2/2/18
 हुमायुन खान

सहायक कलक्टर एवं
 न्यायालय नजिर (आर. ए. ए.)
 शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

नाम **बनाम लक्षण बगो**

ACEM (F.T) एकाउण्ट

या 253/2003 उचः देव 19/2013 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/6/18 लगतार	<p>मलाबली का अवलोकन किया; मलाबली पर छुट्टी दिवस व बगो के आचार पर गाना गायुंदा के साबिक आ ख न-413 टकबा 9 बीघा 4 बिस्वा व 44 टकबा 15 बीघा 4 बिस्वा कुल किला 2, टकबा 24 बीघा 8 बिस्वा बादी की खावेदारी के विपरीत बरताना कुल काल आशुगित को कुल टकबा 6-10 के के कुमावले 6-05 है बादी की खावेदारी में 0-05 है टकबा मल खावेदारी में देव कर दिया गया।</p> <p>बादी को मजबूत है कि उसकी खावेदारी का मजबूत टकबा 0-05 है बादी की खावेदारी की मजबूत ख-2-828/2-00 है के व-वर्तमान उच्चर-द्विगण स्थित छविवादीगण की खावेदारी में सम्मिलित कर दिया वो उनकी खावेदारी में से मजबूत करके बादी की खावेदारी का मजबूत खावेदारी मजबूत टकबा दिवस में दखिला जावे। इसके विपरीत छविवादीगण को मजबूत मजबूत बादी की खावेदारी का मजबूत टकबा 0-05 है उन्को खावेदारी की मजबूत सम्मिलित नहीं हुआ है। अपितु काल ख-न-210 व 887 के टकबा में सम्मिलित होना साबिक व काल मजबूत इस के जिलान में स्पष्ट होला है। इसके अतिरिक्त उनका मजबूत मजबूत है कि बादी की खावेदारी का मजबूत टकबा यदि खावेदारी की मजबूत मजबूत में सम्मिलित हो गयतो मजबूत व अपनी उच्च आशुगित पर 50 वर्ष की उच्च मजबूत से साबिक टकबा मजबूत करके मजबूत आ देनी है। इस कारण छविवादीगण के आचार पर उनके उच्च आशुगित पर दखिल करके खावेदारी छुट्टी हो गयतो है। फिर भी उच्च आशुगित की मजबूत मजबूत</p>	

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
आहपरा जिला-जयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

नाम न्यायालय बनाम (विद्यमान)

केस संख्या

253/2001 फुल्ले 11/9/2013 शब्दा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
5/6/18		<p>महबूब खां के बारे में। जिसने यदि बंदी की खातेपारी का कर्तव्य उभरी खातेपारी की कुल जमाने में शामिल होना पात्र ठावेगा तो वे उसका संख्या द्योत देंगे।</p> <p>मलायली पर उस्तव इस्तेमाल, साक्ष्य साक्षिक व काल नमूना इस के फिलान मैत्री बंदी की साक्षिक खातेपारी का कर्तव्य इस-जिस काल ख-न-मे किरवा-किरवा शामिल हो गता मत स्पष्ट नहीं होता है। इस संभव में कोई सीमा खान व तपजीनी काफ़ी रिपोर्ट भी उतुत नहीं की गई है। इस उभार मत तां इसी है कि बंदी का साक्षिक खातेपारी के उभावले 0-0 5ले-रकबा काल खातेपारी में कतई किता गता है। किन्तु मत रकबा किस काल ख-न-मे कब किरवा खातेपारी में शामिल है की वस्तु स्पष्ट नहीं है। इस संभव में उतुत रिपोर्ट में जो कि पर उभार आसक्तिगत को मापकर सीमा माना करवाते उतुत रिपोर्ट में ही है, वो सीमा (पोगती) अतः शब्दा इस आदेश के साथ किन्ती किता जाता है कि बंदी गजन बमतुद्रा में स्थित साक्षिक आशिकी ख-न-पाउरकबा 9 बीघा 4 बीघा व आशिकी ख-न-9 1/2 रकबा 15 बीघा 9 बीघा में बंधा उभर काल ख-न-8 2/8 व 8 8/8 ही 8 8/8 कुल फिलान रकबा 6-0-5 है। कजि का नियमानुसार सीमा खान करावे। अतः मैं पक्षरगरीमी का नबारी करे। पर यह किन्ती जारी हो। मत मलायली पर उस्तव उभार होकर नांतर वे करम की।</p>

सहायक कमिश्नर
 न्यायालय, मजिस्ट्रेट
 शाहपरा (सिपज)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर
स्थान :- जगतपुरा दिनांक :- 5-6-2018

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि बिठूराम (आर-ए-एस)

(1) नन्दू सिंह उत गोपाल सिंह ^{उनवान} जाति- शरद्वत निवासी जगतपुरा
तकसील- शाहपुरा-जयपुर

वादीगण

- 1) बिदमन (2) युगपिसरण ^{बनाम} आगौरव (3) गजपाराम (3/2) दौशन सिंह कालू (3/3) मरुहरा
(4) सुभाष (3/5) सोहन सिंह अर्जुन उत कालू (3/6) मूलू ली मली स्वः अर्जुन उत कालू (3/7) अर्जुन
(8) सोनी देवी (3/9) दमोदी देवी (3/10) कमली देवी (3/11) सुदीला देवी पुतीमा कालू (3/12) मंजू (3/13)
सन्ती पुतीमा अर्जुन उत कालू (4) हनुमान (5) बंटी पिसरण आगौरव (6) पुकातीलाल
कालू राम (8) उदलीचर (9) हनुमानस्याराम (10) गणेशाराम (11) रामखाल (12) तकसील
तकसील शाहपुरा जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा यावत :- सीमा सिद्धमरुहरा युद्वली इत्यादि एवं स्वामी सिधचाला
मुकदमा नम्बर :- 253/2001 पुनः दृज 119/2013
निर्णय दिनांक :- 5-6-2018

अतः दावा हम आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि वही गाम-
जगतपुरा मे स्थित आ-ख-न- 413 एकवा 9 बीघा 4 बिस्वा व आ-ख-न-914
एकवा 15 बीघा 9 बिस्वा से लगभग एक कालू आ-ख-न- 828 व 881 से 886 कुल कित्त
7 एकवा 6-05 हेक्टेयर का निम्नानुसार सीमाहान करार है। अलग से पसलदारी
की कार्रवाही करे।

द्वय पक्षसाथन अपना-अपना बरन करेगे।

मज आद हरिख 5-6-2018 को मेरे दस्तावेज कोद-आमलम की छत्रालापर ही गई।

H
सहायक कलक्टर एवं
कार्यसंपन्न अधिकारी स्वदंत्रक
पदेनासना कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे

जादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद वर के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शोधित पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. अलग पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. अंतिया के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. अंतिया की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. अंतिया की तामील		जोड़	